

प्रेषक,

अनिल कुमार,

प्रमुख सचिव,,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद्,

उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक      सितम्बर, 2026

विषय: तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से गाँव निधि में प्राप्त होने वाली आय के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या- 1248/एक-2-2026-1955561, दिनांक- 17 जुलाई, 2026 एवं पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या- I/1430960/2026, दिनांक 13 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्राम पंचायतों में तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से गाँव निधि में प्राप्त होने वाली आय को 31 अगस्त, 2026 तक शत-प्रतिशत गाँव निधि (विलेज फण्ड) में अंतरित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजस्व विभाग द्वारा तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी के अनुश्रवण हेतु विकसित "पट्टा आवंटन (तालाब)" रिपोर्ट पर प्रदर्शित इण्ट्री के अनुसार दिनांक 24 अगस्त, 2026 तक गत वर्षों में लगान/किराये की स्वीकृत धनराशि ₹671.83 करोड़ एवं नियत धनराशि ₹341.90 करोड़ प्रदर्शित हो रही है, जिसके सापेक्ष मात्र ₹128.81 करोड़ ही कुल प्राप्त धनराशि के रूप में प्रदर्शित है।

3- उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्षों से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के स्तर से नियमित अनुश्रवण किये जाने के पश्चात् भी तहसील/जनपदों से लगान/किराये की नियत धनराशि के हस्तांतरण की कार्यवाही एवं संबंधित विवरण, पोर्टल पर अद्यतन किया जाना शेष है। पोर्टल पर प्रदर्शित कुल प्राप्त धनराशि में ग्राम पंचायतों के अंश (75%) के सापेक्ष मात्र ₹3.45 करोड़ (2.69%) धनराशि ही संबंधित ग्राम पंचायतों को अंतरित किये जाने का विवरण प्रदर्शित है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15 मई, 2025 एवं 14 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश (कार्यवृत्त संलग्न) तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ओ०एस०आर० सृजन हेतु निर्धारित मानकों का संज्ञान लेते हुए तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी के सापेक्ष गत वर्षों में लगान/किराये में ग्राम पंचायतों के अंश का हस्तांतरण किये जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by

अनिल कुमार

Date: 08-09-2026 19:01:59

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०।

आज्ञा से,

Digitally signed by

RAJESH KUMAR TYAGI

(राजेश कुमार त्यागी)

Date: 08-09-2026 19:03:07

विशेष सचिव।